समक्ष- न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प, सागर

I/निगरानी/सागर/भू.रा./2018/02199

१- मनोज कुमार उम्र करीब ३२ वर्ष
२- महेन्द्र उम्र करीब ३० वर्ष
३- नरेन्द्र उम्र करीब २४वर्ष
सभी वल्द नन्हें भाई, सभी निवासी ग्राम परासिया
तहसील बण्डा जिला सागर —— पुनरीक्षण कर्ता

-: विरुद्ध :-

१- प्रताप उम्र करीब ६० वर्ष वल्द गनेश चढ़ार
२- अमान उम्र करीब ६५ वर्ष वल्द गनेश चढ़ार
दोनों निवासी ग्राम परासिया, तहसील बण्डा
जिला सागर —— अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०भू-रा०सं०१९५९

पुनरीक्षण कर्ता की ओर से निम्न प्रार्थना है :-

प्रस्तुत पुनरीक्षण न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी, बण्डा द्वारा राजस्व प्र०क्रमांक २६-अ/२७ वर्ष २०१५-१६ मे पारित आदेश दिनांक ११/०१/२०१८ से परिवेदित होकर प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य-

१- यहकि, पुनरीक्षण कर्तागण द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा ४४ मध्यप्रदेश-राजस्व संहिता के प्रस्तुत कर संशोधन पंजी क्रमांक ३/२४ पर पारित आदेश दिनांक ५/१/२००८ को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की थी जिसमें पुनरीक्षण कर्तागण द्वारा धारा ५ म्याद अधिनियम का आवेदन भी प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ करने हेतु निवेदन किया था ।

-२

(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/सागर/भू.रा./2018/2199 मनोज विरूद्ध प्रताप

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई अभिभाषक श्री विशाल दुबे उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बंडा के प्रकरण क्रमांक 21-अ/27 वर्ष 2015-16 में पारित आदेश दिनांक 11-01-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 27-03-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता	

31/01/19

है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 31/1/19
सदस्य